न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 129/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/184)

वादीगण बनाम	प्रतिवादीगण
इन्द्रजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। मनप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। सिमरजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. दलजीत कौर पत्नी हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. मोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. हरी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 14.05.2025

परस्थितः1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

दिनांकः19.12.2025

——निर्णय——

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/66 के मुरब्बा नम्बर 14, 70/39 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 70/69 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहखातेदारान के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है तथा उक्त बंटवारानामा अच्छी बुरी भूमि के अनुपात को देखते हुए किया गया है। घरू वाहमी बंटवारा के अनुसार वादीगण को चक 21 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 70/69 के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 6 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 8/2 की 0.021 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/2 की 0.021 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.021 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। उक्त भूमि का अभी तक किलावाईज विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण संयुक्त खाता की उक्त प्रश्नगत भूमि का भूमि की किस्म अनुसार रास्ता तथा सिंचाई पानी की सहुलियत के मद्देनजर किलावाईज विभाजन करवाकर अपने हिस्सानुसार किलावाईज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अलग से अपने नाम दर्ज करवाने का हकदार है और वादी भूमि का अलग से खाता कायम करवाकर स्वंय को विभाजनशुदा भूमि का खातेदार घोषित करवा पाने का अधिकारी है, जिसके लिए वादी उक्त दावा ला पाने का अधिकारी है। आज से 5 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/66 के मुरब्बा नम्बर 14, 70/39 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 70/69 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण को घरू बंटवारानामा में प्राप्त मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 6 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 8/2 की 0.021 हैक्टेयर, किला नम्बर 9/2 की 0.021 हैक्टेयर, किला नम्बर 10/2 की 0.021 हैक्टेयर भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

सहायक कलक्टर एंव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वी, भू. अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/66 के मुरब्बा नम्बर 14, 70/39 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 70/69 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण इन्द्रजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, सिमरजीत कौर व प्रतिवादीगण दलजीत कौर, मोहन सिंह, हरी सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में पंत्राक 3996 दिनांक 17.12.2025 से बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 इस अमर की जारी की जाती है, कि राजस्व ग्राम 21 एच, पटवार हल्का 8 वी, भू.अ.नि. धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 68/66 के मुरब्बा नम्बर 14, 70/39 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 70/69 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 1.581 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	इन्द्रजीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। मनप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। (1.054 हैक्टेयर ब.हि.ब.) सिमरजीत कौर पत्नी सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.527 हैक्टेयर)	21 एच	30	1 ता 6 8/2 9/2 10/2	1.518 हैक्टेयर 0.021 हैक्टेयर 0.021 हैक्टेयर 0.021 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	12.6 0.17 0.17 0.17
2	दलजीत कौर पत्नी हरी सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। (2.403 हैक्टेयर) मोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच	21 एच	14	11/1 12/1 13/1 14/1 15 16	0.127 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.114 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	1.05 1.05 1.05 1.05 0.95 1.89

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

तहसील श्रीकरणपुर। (0.031 हैक्टेयर) हरी सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 21 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.728 हैक्टेयर)		70/39	17 ता 24 25	2.024 हैक्टेयर 0.228 हैक्टेयर 0.063 हैक्टेयर	नहरी नहरी गै.मु.खा.	16.80 1.89 0.00

व खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना वे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर म्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास में सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) (राज.)